हिमाचल प्रदेश

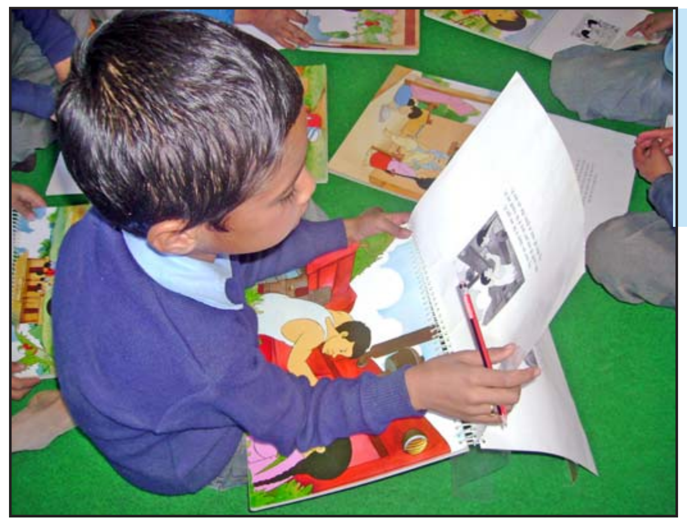

हमारा संकल्प

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

उपयोगी शिक्षा
गुणात्मक शिक्षा

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के मार्गदर्शक सिद्धांत

(गतांक से आगे)

प्रिय पाठको !

गिरिराज साप्ताहिक के सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित पिछले अंक (24–30 सितम्बर, 2008) में आपने जाना कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में विद्यालय स्तर तथा संकुल (Cluster) स्तर पर किस प्रकार कार्यक्रम का कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत रूप से किया जा रहा है। इस बार हम आपको खण्ड, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों से अवगत करवा रहे हैं।

खण्ड स्तर

खण्ड स्तर पर योजना संबंधी प्रक्रिया का कार्यान्वयन खण्ड स्रोत समन्वयकों द्वारा किया जाता है। संकुल स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली सभी स्कूली गतिविधियों का अनुश्रवण एवं आकलन खण्ड स्रोत समन्वयकों (BRCs) द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी BRC के माध्यम से ही संकुल स्तर तक पहुंचती है। और इसी प्रकार जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी खण्ड स्रोत समन्वयकों के माध्यम से ही डाइट्स तक पहुंचती है। अतः BRCs अभियान के सफल कार्यान्वयन में एक मजबूत कड़ी काम करते हैं। खण्ड स्रोत केन्द्र पर होने वाली बैठकें एवं कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनकी अनुपालना प्रत्येक खण्ड स्रोत केन्द्र के समन्वयक के लिए अनिवार्य है।

खण्ड स्तर पर होने वाली बैठकों व कार्यों के लिए दिशा-निर्देश

1. खण्ड स्तर पर प्रति मास दो बैठकें होंगी। इन बैठकों में खण्ड स्तर के स्रोत व्यक्ति खण्ड समूह (BRG) के सदस्य व सी.आर.सी. भाग लेंगे।
2. मास की पहली बैठक महीने के पहले हफ्ते में 6 अथवा 7 तारीख तक होगी। यह बैठक क्लस्टर स्तर की बैठक के बाद होगी। दूसरी बैठक 16 से 20 तारीख के बीच होगी। हर खण्ड के लिए बैठक का दिन निश्चित होगा। अगर निश्चित दिन को अवकाश होगा तो आगामी दिन बैठक होगी।
3. इन बैठकों की अध्यक्षता खण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे और बी.आर.सी. इन बैठकों का संचालन करेंगे।
4. सी.आर.सी. पहली बैठक में CLF-III पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और CLF-1, CLF-II, CLF-III के आधार पर चर्चा होगी और दूसरी बैठक में अपने दौरे के दौरान देखी गई बातों Classrom Observation व गत मास के निर्णयों की समीक्षा करेंगे।
5. खण्ड स्तर पर की बैठकों में पूरे मास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों की योजना बनेगी व पिछले मास के लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा होगी।
6. खण्ड स्रोत समन्वयक (BRC) व खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रति मास 8 से 15 तारीख के बीच अपने खण्ड में कम से कम 5–5 क्लस्टर स्कूलों का दौरा करेंगे और 16 तारीख की बैठक में दौरे के दौरान देखी गई बातों पर चर्चा करेंगे। यह दौरा सी.आर.सी. द्वारा पहचाने गए समस्याग्रस्त विद्यालयों का हो सकता है अथवा बी.आर.सी. व खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (BPEO) अपने आप randomly इन स्कूलों का चयन कर सकते हैं। अपने दौरे के दौरान बी.आर.सी. व बी.पी.ई.ओ., सैंटर स्कूल के रजिस्टर में अपनी टिप्पणी अवश्य दर्ज करेंगे।
7. बी.आर.सी. व बी.पी.ई.ओ., अपने दौरे के आधार पर BLF-I पर रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि वे 14 तारीख की मासिक बैठक में जिला परियोजना अधिकारी (DPO) को प्रस्तुत करेंगे।
8. खण्ड स्तर पर एवं क्लस्टर पर प्रति मास 16 तारीख से मास के अंत तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसकी रूपरेखा मास की पहली बैठक में तय हो जानी आवश्यक है।
9. सी.आर.सी. खण्ड स्तर पर केवल उन्हीं समस्याओं/मुद्दों की चर्चा करें जो कि वे स्वयं अपने स्तर पर हल न कर पाये हों।
10. जिला स्तर के डाइट के समन्वयक जो सम्बन्धित खण्ड के प्रभारी हों वे प्रति मास खण्ड स्तर पर होने वाली दोनों बैठकों में भाग लेंगे। इसके बारे में अपनी रिपोर्ट डी.पी.ओ. को देंगे। डी.पी.ओ. स्वयं भी प्रत्येक मास कम से कम एक खण्ड स्तर की बैठक में भाग लेंगे।

खण्ड स्रोत समन्वयक द्वारा अपने स्कूली दौरे के दौरान ली जाने वाली जानकारी :-

- स्कूलों में पठन–पाठन सामग्री (TLM) का प्रयोग होता है या नहीं।
- बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं।
- क्या अभिभावकों को बच्चों के शिक्षा संबंधी मूल्यांकन की रिपोर्ट से अवगत करवाया जा रहा है।
- स्कूल में लाइब्रेरी का उचित उपयोग हो रहा है?
- निदानात्मक शिक्षा की आवश्यकता है? यह शिक्षा दी जा रही है या नहीं?
- समय सारिणी बनी है और उसका उपयुक्त प्रयोग है?
- ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका कैसी है?
- स्कूल न जाने वाले और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
- फंड्स का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं?
- अध्यापकों के प्रशिक्षण की स्थिति क्या है?

जिला परियोजना अधिकारी को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी :-

- संकुल स्रोत केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों संबंधी
- सी आर सी के स्कूली दौरे संबंधी
- संकुल स्तर पर नियमित बैठकों संबंधी
- बच्चों के अधिगम स्तर संबंधी
- मध्याह्न भोजन की स्थिति संबंधी

खण्ड स्रोत समन्वयक अपने दौरे के विषय में जिला परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। जिस पर डी.पी.ओ. यह सुनिश्चित करेंगे कि बी.आर.सी. द्वारा उसके दौरे के दौरान बताई गई आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के प्रति कार्रवाई करने हेतु डाइट द्वारा पर्याप्त योगदान दिया गया है।

योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्यों एवं नियोजन के चलते ही किसी कार्यक्रम एवं योजना के कार्यान्वयन की सफलता सुनिश्चित होती है। अतः खण्ड स्रोत केन्द्र पर हाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लक्षित समूह तक पहुंचना जरूरी है ताकि आवश्यकतानुसार उनके प्रभावी कार्यान्वयन को योजनाबद्ध किया जा सके। इस कार्य को अंजाम देने के लिए खण्ड स्रोत समन्वयक को अपनी भूमिका दायित्व के साथ निभानी होती है।

जिला स्तर

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) की प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही संस्थान है जो राज्य स्तर एवं शिक्षा व्यवस्था की न्यूनतम इकाई के मध्य एक मज़बूत कड़ी का काम करते हैं। कार्यक्रम अथवा योजनाओं को किस प्रकार प्रभावी ढंग से स्कूलों तक पहुंचाना है इसका सम्पूर्ण दायित्व डाइट्स पर है जो कि खण्ड व संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयकों के सक्रिय योगदान से इस जटिल कार्य को अंजाम देते हैं। कार्यक्रम का लाभ सीधा स्कूली बच्चों व अध्यापकों को मिले, इसके लिए खण्ड व संकुल स्तर पर निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना डाइट स्तर पर अत्यन्त आवश्यक है।

डाइट स्तर की प्रमुख गतिविधियां :

- डाइट में नियुक्त प्रत्येक संकाय सदस्य को कम से कम एक शिक्षा खण्ड का दायित्व संभालना होता है। कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि जिला स्तर के सभी शिक्षा खण्ड कवर हो जाएं। इसमें प्राथमिक व प्रारंभिक दोनों स्कूल शामिल हैं। अतः संभव है कि किसी एक संकाय सदस्य के पास एक या इससे अधिक शिक्षा खण्डों का दायित्व हो अथवा यह भी संभव हो सकता है कि एक खण्ड का दायित्व एक से अधिक सदस्य के पास हो।
- सभी सदस्यों को अपने शिक्षा खण्डों में चल रहे कार्यों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रगति को मॉनीटर करना होता है।
- महीने में कम से कम दो बार हर सदस्य को शिक्षा खण्ड का दौरा करना होता है।
- प्रत्येक सदस्य को खण्ड स्तर पर होने वाली प्रत्येक बैठक जिसमें खण्ड स्रोत समूह सदस्य, खण्ड स्रोत समन्वयक व संकुल स्रोत समन्वयक शामिल होते हैं, में भाग लेना होता है।
- यह भी सुनिश्चित करना होता है कि महीने में कम से कम एक बार केन्द्र कॉम्पलेक्स का दौरा किया जाए।

डाइट प्राचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी के कार्य

प्रत्येक प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी खण्ड स्रोत समन्वयक, संकुल स्रोत समन्वयक, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता, व अन्य अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि :–

- कार्यक्रम की उपयुक्त मॉनीटरिंग व समन्वयन हो।
- महीने में कम से कम पांच निर्माण कार्यों का निरीक्षण हो।
- महीने में कम से कम 5 प्राथमिक व 5 उच्च प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण हो और ये वे स्कूल हों जहां पहले निरीक्षण किसी के द्वारा भी न किया गया हो।
- प्रत्येक डाइट संकाय व प्राचार्य कम से कम एक स्कूल को अपनाए।
- डाइट प्राचार्य, उप निदेशक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा व जिला संसाधन समूह के सक्रिय सदस्यों की नियोजन एवं कार्यान्वयन समिति की प्रति माह बैठक हो जिसमें पिछले महीने की गई गतिविधियों की समीक्षा की जाए तथा आगामी मास हेतु योजना तैयार की जाए।

डाइट स्तर पर गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु बैठकों एवं कार्यों के लिए जारी दिशा-निर्देश :-

1. प्रत्येक जिले में हर मास की 14 तारीख को (अथवा उसके अगले दिन अगर 14 तारीख को छुट्टी हो तो) बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। डी.पी.ओ. इस बैठक का संचालन करेंगे। सभी बी.पी.ई.ओ. व बी.आर.सी. इस बैठक में भाग लेंगे।
2. इस बैठक में बी.आर.सी., BLF-1 फॉर्म पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
3. इस बैठक में गत मास लिये गये निर्णयों की समीक्षा होगी और आगामी मास के कार्यों की रूपरेखा तैयार की जायेगी।
4. इस बैठक में जिला स्रोत समूह (DRG) के सदस्य भी भाग लेंगे।
5. प्रत्येक मास राज्य परियोजना कार्यालय से एक स्रोत व्यक्ति जिला स्तर की बैठक में भाग लेंगे। राज्य परियोजना निदेशक किसी भी एक जिले की बैठक में भाग ले सकते है।

डी.पी.ओ. DLF-I पर अपनी रिर्पोट तैयार करेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे और BLF के आधार पर खण्ड़ स्तर के कार्यों की समीक्षा करेंगे। BLF के आधार पर तैयार की गई DLF रिपोर्ट DPOs हर मास 14 तारीख को अथवा 15 तारीख को राज्य परियोजना कार्यालय को फैक्स तथा ई–मेल के द्वारा भेजेंगे।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका को देखते हुए इस स्तर पर दृढ़ इच्छा शक्ति व समर्पण की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर अभियान को पहुंचाने व इसका सफल कार्यान्वयन डाइट्स की कार्य प्रणाली व नेतृत्व कुशलता पर निर्भर करता है।

राज्य स्तर

प्रदेश भर की प्रारंभिक पाठशालाओं में चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभ्यिान की सफलता की बागडोर राज्य परियोजना कार्यालय के हाथों में है। कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में इसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राज्य परियोजना कार्यालय में अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही सभी गतिविधियों का संचालन राज्य स्तरीय समन्वयकों के माध्यम से किया जाता है। जिनके उचित मार्गदर्शन के अभाव में स्कूल स्तर पर योजना के सफल कार्यान्वयन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रति माह राज्य परियोजना कार्यालय, शिमला में एक समीक्षा बैठक का आयोजन मिशन निदेशक अथवा राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में की जाती है। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की मासिक प्रगति का विस्तृत समीक्षा होती है। जिला स्तर पर अथवा उससे निचले स्तर पर आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान पर बैठक में विस्तृत चर्चा की जाती है और यथोचित दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन किया जाता है।

राज्य परियोजना कार्यालय को स्कूलों में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के निरीक्षण एवं मानीटरिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होता है जिसके बिना कार्यक्रम को सही दिशा दे पाना संभव नहीं।

बालिकाओं के लिए आत्मसुरक्षा का पहला पाठ

विद्यालयों में कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्कूली छात्राओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्तूबर माह से कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

पुलिस विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश के पांच जिलों कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, सिरमौर व शिमला की पाठशालाओं को चिन्हित किया गया है। पुलिस विभाग के पारंगत प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को यह प्रशिक्षण उनकी पाठशालाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व इन प्रशिक्षकों के लिए जिला स्तर पर ओरिन्टेशन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। यही नहीं बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए उनके अभिभावकों की भी काउंसिलिंग की गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियां जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत प्रति वर्ष करवाई जाती हैं। इनमें छात्राएं कराटे, योग, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के विषय में दक्षता प्राप्त करती हैं। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य बालिकाओं का सर्वांगीण विकास कर उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है। इन गतिविधियों ने जहां बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं छात्राएं अनेक साहसिक गतिविधियों के प्रति जागरूक भी हुई हैं।

कराटे प्रशिक्षण लेतीं स्कूली छात्राएं

कराटे प्रशिक्षण वर्ष 2006 से प्रदेश की 40 चयनित पाठशालाओं की छठी से आठवीं कक्षा की छात्राओं के लिए आरम्भ किया गया था। बालिकाओं ने इसमें अत्यन्त उत्साह व रुचि दिखाई एवं अनेक राज्य एवं राष्ट्र स्तर के समारोहों में अपने उम्दा प्रदर्शन से प्रशंसा प्राप्त की।

कराटे प्रशिक्षण से बालिकाओं में अनुशासन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसुरक्षा एवं आत्मबल जागृत हुआ है। अतः प्रदेश की अधिकाधिक स्कूली छात्राओं को इस प्रकार की गतिविधि में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के पिछड़े एवं दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राएं इस कराटे प्रशिक्षण में विशेष रुचि दिखा रही हैं और उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपने बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यही वजह है कि विभाग बालिकाओं को भरपूर अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इस वर्ष नवाचारी गतिविधियों के तहत शुरू किए गए कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नए स्कूलों का चयन किया गया है जिनमें अब तक यह कार्यक्रम नहीं चल रहा था। इन नए स्कूलों के चयन को लेकर स्थिति प्रशिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए व्यापक रूप से व्यवस्था करवाई जाएगी।

पाठकों से...

हमारे पाठक सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने सुझावों से हमें अवगत करवाएंगे, ऐसी उम्मीद है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। आप अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी हमें निम्न पते पर सूचित कर सकते हैं :–

राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001
दूरभाष : 2658668, फैक्स : 2808624

आलेख एवं प्रस्तुति : **ज्योति रावत**